BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 87/2025

IN THE MATTER OF:
RANG BAHADUR SINGH

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 1 STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 05.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF LETTER DATED 21.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 17.06.2025 AND THE PHOTOGRAPHS OF THE BRICK KILNS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE CLOSURE ORDER DATED 23.05.2023 ALONG WITH THE LIST OF BRICK KILNS IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-3**	

5.	A COPY OF SHOW CAUSE NOTICE DATED 23.06.2025 AND DIRECTION DATED 04.11.2024 ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-4**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: **04.10.2025**

PLACE: **NOIDA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 87/20

<u>IN THE MATTER OF:</u>

RANG BAHADUR SINGH

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

<u>RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 1 STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 05.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI</u>

I, Sushant Sharma, aged about 54 years S/o Late Hari Chand, presently posted as Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my

03/10/2025

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present matter applicant has raised the grievances that Respondent no.(s) 06 to 09 brick kilns are illegally operating in Tehsil Kadipur, District Sultanpur, Uttar Pradesh without having any Consent to Operate (CTO) and necessary Environmental Clearance (EC) near the residential area, School and agricultural field causing serious air pollution, creating health hazard and depleting the quality of the agricultural land.

4. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 05.03.2025 directed the respondents to file their response. The operative part of the oder is as stated below:

> *"...5. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.*
>
> *6. Issue notice to the respondents for filing their response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing..."*

5. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 05.03.2025, the Deponent issued a letter dated 21.05.2025 to

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVERNMENT OF INDIA

03/10/2025

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB") and directed to take the necessary actions in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal. Furthermore, the UPPCB was directed to submit the report of the actions taken against the Project Proponent (hereinafter referred to as "PP").

A copy of letter dated 21.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

6. That as per the report submitted by the UPPCB to the Deponent Department, an inspection dated 17.06.2025 was carried out by the officials of the UPPCB. The inspection of the brick kilns in question i.e. *Respondent No.-6, M/s Raj Ent Udyog, Village-Jalalpur, Post-Kadipur Khurd, Tehsil Kadipur District-Sultanpur, Respondent No.-7, M/s New Raj Ent Udyog, Village-Naraynpara, Post-Barwaripur, Tehsil Kadipur District-Sultanpur, Respondent No.-8, M/s Rajan Ent Udyog, Village-Kadipur Khurd, Post-Kadipur Khurd, Tehsil Kadipur District-Sultanpur and Respondent No.-9, M/s Lucky Ent Udyog, Village-Prannathpur Khurd, Post-Kishundaspur, Tehsil Kadipur District-Sultanpur,* was undertaken by the officials of the UPPCB.

A copy of the inspection report dated 17.06.2025 and the photographs of the brick kilns is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 209.. GOVERNMENT OF INDIA

03/10/2025

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

7. That during inspection 03 Brick Kilns i.e. Respondent No. 6, 7 and 8 were found closed in compliance to the closure order issued by UPPCB vide letter dated 23.05.2023. *(Respondent no. 6 at S. No. 15; Respondent no. 7 at S. No. 12; Respondent no. 8 at S. No. 28 of **ANNEXURE-3**)*

   A copy of the Closure Order dated 23.05.2023 along with the list of brick kilns is being annexed herewith as **ANNEXURE-3**.

8. That during inspection of Respondent No.-9 M/s Lucky Ent Udyog was also found closed. The site of the brick kiln in question not found as per guidelines mentioned in "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012", wherefore, a Show Cause Notice has been issued by the UPPCB vide its letter dated 23.06.2025. Furthermore, UPPCB vide letter dated 04.11.2024 has also directed the brick kiln in question to not to operate without permissions required as per the law and consent from UPPCB.

   A copy of Show Cause Notice dated 23.06.2025 and direction dated 04.11.2024 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO.20914 GOVERNMENT OF INDIA

9. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

10. I state that everything stated above has been stated by me in my

03/10/2025

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at LKO. U.P. on this 3rd day of Oct., 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO.20914 GOVERNMENT OF INDIA

Identify the deponent/Executant/Surety who has/have signed/Put T.I. before me.
Adv. LKO UP02664/02

Sworn and Verified Before Me
03/10/2025
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO.20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

Annexure-1

<u>संख्या-एन.जी.टी.-355/81-7-2025-1930910</u>

प्रेषक,

सुशांत शर्मा,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 21-05-2025**

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-87/2025 रंग बहादुर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 05.03.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-87/2025 रंग बहादुर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 05.03.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"...

6. Issue notice to the respondents for filing their response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing.

7. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

8. Counsel for the Applicant is directed to supply copy of the OA along with all the enclosures to Counsel for the Respondents within one week.

9. Respondent no.2-UPPCB is directed to file a comprehensive report disclosing the status of operation of brick kilns and if these brick kilns are operating with necessary EC and if not, action which has been taken by respondent-UPPCB.

10. List on 08.07.2025."

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा तहसील कादीपुर , जिला सुल्तानपुर में अवैध रूप से चले प्रतिवादी संख्या 06 से 09 ईंट भट्ठों के संबंध में शिकायत की गयी है। आवेदक का आरोप है कि इन ईंट भट्टों के पास संचालन हेतु सहमति (सीटीओ), आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) नहीं है और वे ईंट भट्टे की स्थापना और संचालन के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये ईंट भट्टे आवासीय क्षेत्र, स्कूल और कृषि क्षेत्र के निकट संचालित हो रहे हैं, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है और कृषि भूमि की गुणवत्ता कम हो रही है।

इस संबंध में मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशानुसार प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत करते हुए अगली सुनवाई तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व शपथ-पत्र के माध्यम से response दाखिल किये जाने के

निर्देश दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2-यूपीपीसीबी को ईंट भट्टों के संचालन की स्थिति का खुलासा करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने तथा क्या ये ईंट भट्टे आवश्यक पर्यावरण मंजूरी के साथ चल रहे हैं और यदि नहीं, तो प्रतिवादी संख्या 2-यूपीपीसीबी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त नोटिस के अनुसार प्रतिवादी संख्या-(1) State of Uttar Pradesh Through Chief Secretary, प्रतिवादी संख्या-(2) Uttar Pradesh Pollution Control Board Through its Chairman, प्रतिवादी संख्या-(4) Uttar Pradesh Pollution Control Board (Regional Officer) Through Regional Officer, Raebareli हैं।

3- अतः इस संबंध में कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल) , एन०जी०टी०, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22.03.2025 द्वारा प्रेषित नोटिस की छायाप्रति संलग्नक सहित ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समयान्तर्गत शपथ-पत्र के माध्यम से response मा० अधिकरण में दाखिल करने तथा दाखिल किये गये शपथ-पत्र की प्रति सहित कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि प्रकरण में शासन स्तर से मा० अधिकरण में शपथ-पत्र दाखिल किया जाना हो, तो तद्नुसार शासन स्तर से दाखिल किये जाने वाले शपथ-पत्र का आलेख्य तैयार कर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त (ई-मेल से प्रेषित)

भवदीय,

Digitally signed by SUSHANT SHARMA
Date: 21-05-2025 18:15:12

(सुशान्त शर्मा)
सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–07/2025 रंग बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–05.03.2025 के अनुपालन में याचिका में उल्लिखित ईंट भट्ठों की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–07/2025 रंग बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–05.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स राज ईंट उद्योग, ग्राम–जलालपुर, पो0–कादीपुर खुर्द, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर, मैसर्स न्यू राज ईंट उद्योग, ग्राम–नारायणपारा, पो0–वरवारीपुर, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर, मैसर्स लकी ईंट उद्योग, ग्राम–प्राणनाथपुर खुर्द, पो0–किशुनदासपुर, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर एवं मैसर्स राजन ईंट उद्योग, ग्राम–कादीपुर खुर्द, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"......... 5. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

6. Issue notice to the respondents for filing their response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing.

7. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

8. Counsel for the Applicant is directed to supply copy of the OA along with all the enclosures to Counsel for the Respondents within one week.

9. Respondent no.2-UPPCB is directed to file a comprehensive report disclosing the status of operation of brick kilns and if these brick kilns are operating with necessary EC and if not, action which has been taken by respondent-UPPCB.

10. List on 08.07.2025......"

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईंट भट्ठों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–17.06.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. **मैसर्स राज ईंट उद्योग, ग्राम–जलालपुर, पो0–कादीपुर खुर्द, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर**

(i) उक्त ईंट भट्ठा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी0 दूर कादीपुर–चांदा मार्ग पर स्थित ग्राम–जलालपुर में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.140962, 82.347826 है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह उपस्थित रहे। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईंट भरी हुई पायी गयी। फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी में प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।

(ii) ईंट भट्ठे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईंट भट्ठा की चिमनी से–

- **पूरब दिशा** में ग्राम–जलालपुर की आबादी लगभग 400 मीटर पर लगभग 30–35 घर।
- **पश्चिम दिशा** में ग्राम–अनिरौला–सरैयाकला लगभग 400 मीटर की दूरी पर आबादी लगभग 25–30 घर।
- **उत्तर दिशा** में ग्राम–सरैयाकला की आबादी लगभग 550 मीटर पर आबादी लगभग 10–12 घर।

- दक्षिण दिशा में ग्राम–जलालपुर लगभग 400 मीटर की दूरी पर आवादी लगभग 15–20 घर।

(iii) निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच94163/सी–5/ईंट–आर/सामा0–546/2023 दिनांक–23.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है जो अद्यतन प्रभावी है। ईंट भट्ठा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। पूर्व में ईंट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्र संख्या–492/सी–2/जी/एस/2024–25 दिनांक–04.11.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठा का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। (संलग्नक–1 व 2)

(iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटाग्राफ्स निम्नवत हैं–

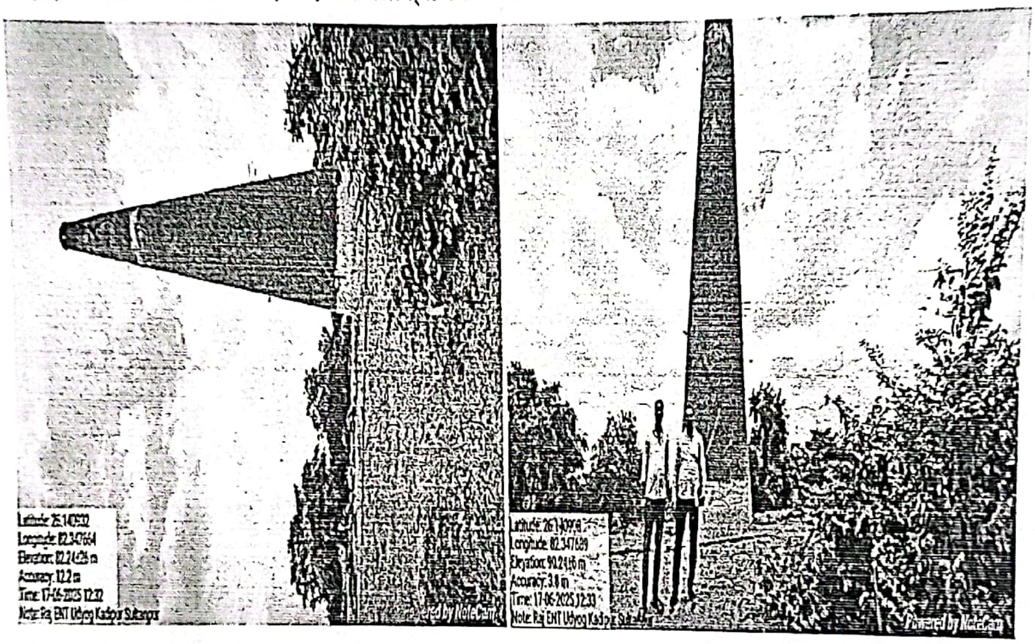

2. <u>मैसर्स न्यू राज ईंट उद्योग, ग्राम–नारायणपारा, पो0–बरवारीपुर, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर</u>

(i) उक्त ईंट भट्ठा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी0 दूर स्थित कादीपुर–बाजार मार्ग पर स्थित ग्राम–नारायणपारा में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.176997, 82.3701629 है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह उपस्थित रहे। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईंट भरी हुई पायी गयी। फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी में प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।

(ii) ईंट भट्ठे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईंट भट्ठा की चिमनी से–

- पूरब दिशा में ग्राम–खिजराबाद की आबादी लगभग 300 मीटर पर लगभग 20–25 घर।
- पश्चिम दिशा में ग्राम–कटघरा लगभग 600 मीटर पर आबादी लगभग 10–15 घर।

- उत्तर दिशा में ग्राम–बाछापारा की आबादी लगभग 600 मीटर पर आबादी लगभग 25–30 घर।
- दक्षिण दिशा में ग्राम–नारायणपारा की आबादी लगभग 450 मीटर की दूरी पर आबादी 25–30 घर।

(iii) निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन (फुंकाई) में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच94163/सी–6/ईंट–आर/ सागा0–546/2023 दिनांक–23.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है जो अद्यतन प्रभावी है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। (संलग्नक–3)

(iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ्स निम्नवत हैं–

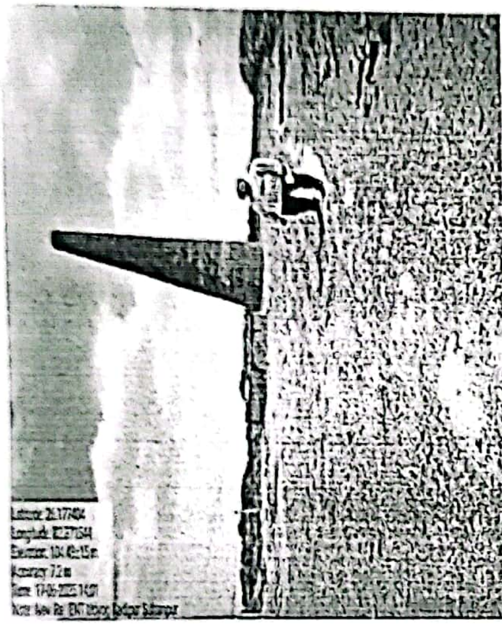

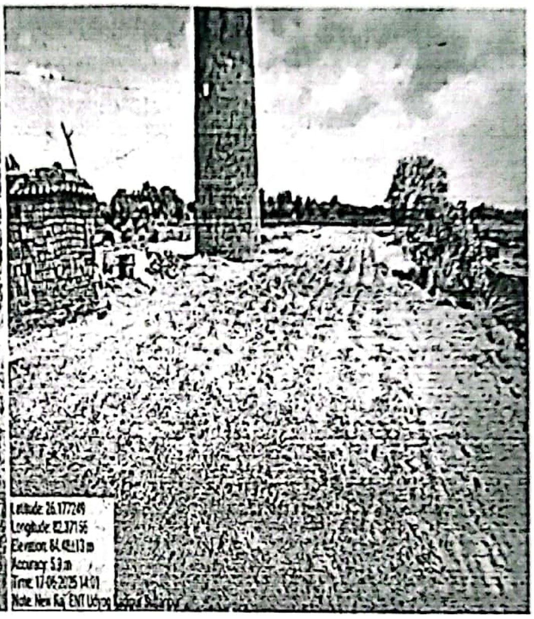

3. <u>मैसर्स राजन ईंट उद्योग, ग्राम–कादीपुर खुर्द, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर</u>

(i) उक्त ईंट भट्ठा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी0 दूर कादीपुर–चांदा मार्ग पर स्थित ग्राम–कादीपुर खुर्द में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.132807, 82.355950 है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह (प्रतिनिधि) उपस्थित रहे। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईंट भरी हुई पायी गयी। पलू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी में प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।

(ii) ईंट भट्ठे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईंट भट्ठा की चिमनी से–

- पूरब दिशा में ग्राम–कादीपुर खुर्द की आबादी लगभग 400 मीटर पर आबादी लगभग 30–35 घर।
- पश्चिम दिशा में कादीपुर–दोस्तपुर मार्ग 50 मीटर की दूरी पर तत्पश्चात लगभग 800 मीटर तक कृषि भूमि।

* उत्तर–पूरब दिशा में ग्राम–जलालपुर की आवादी लगभग 300 मीटर पर आवादी लगभग 25–30 घर।
* दक्षिण दिशा में ग्राम–कादीपुर खुर्द लगभग 350 मीटर की दूरी पर आवादी लगभग 35–40 घर।

(iii) निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच94163/सी–5/ईंट–आर/ साम0–546/2023 दिनांक–23.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है जो अद्यतन प्रभावी है। ईंट भट्ठा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। पूर्व में ईंट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्र संख्या–492/सी–2/जी/एस/2024–25 दिनांक–04.11.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठा का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। (संलग्नक–4 व 5)

(iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत हैं–

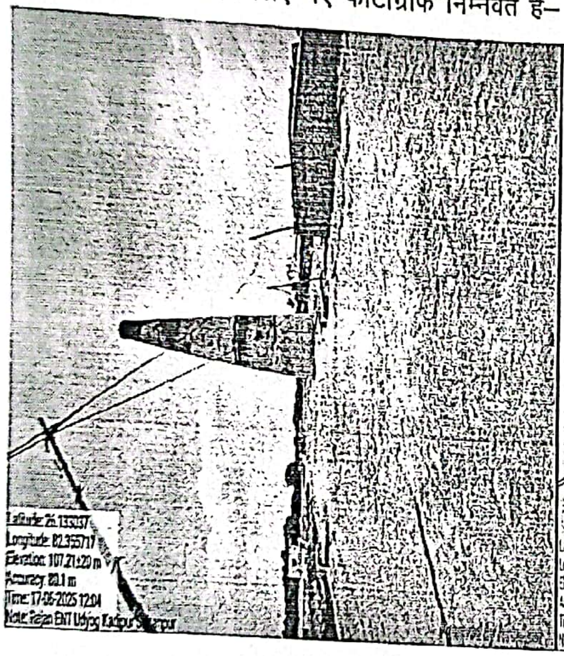

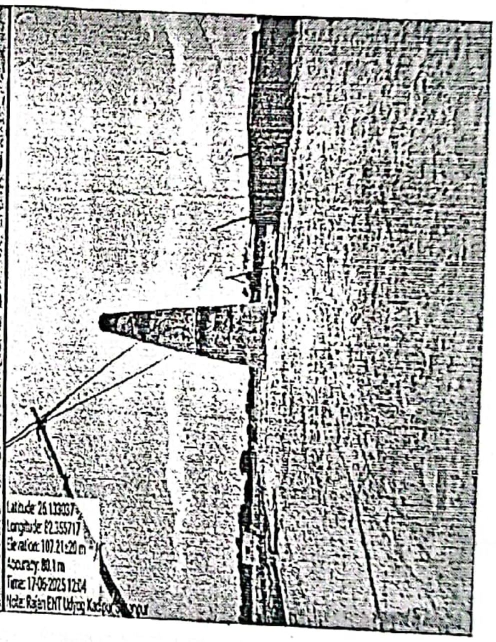

4. <u>मैसर्स लकी ईंट उद्योग, ग्राम–प्राणनाथपुर खुर्द, पो0–किशुनदासपुर, तह0–कादीपुर, जनपद–सुल्तानपुर</u>

(i) उक्त ईंट भट्ठा सुल्तानपुर शहर से लगभग 30 किमी0 दूर कादीपुर–चांदा मार्ग पर स्थित ग्राम–प्राणनाथपुर खुर्द में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.135965, 82.364114 है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार (मुंशी) उपस्थित रहे। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। निरीक्षण के समय ट्रेन्च में पुरानी ईंट भरी हुई पायी गयी। फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। परन्तु चिमनी पर प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।

(ii) ईंट भट्ठे की चिमनी से चारों दिशाओं की स्थिति के अनुसार ईंट भट्ठा की चिमनी से–

* पूरब दिशा में ग्राम–किशुनदासपुर की आवादी लगभग 250 मीटर पर लगभग 15–20 घर।

- पश्चिम दिशा में ग्राम–जलालपुर की आवादी लगभग 450 मीटर की दूरी पर आवादी लगभग 30–35 घर।
- उत्तर दिशा में ग्राम–मोहम्मदाबाद की आवादी लगभग 1.0 किमी0 पर आवादी लगभग 30–40 घर।
- दक्षिण दिशा में ग्राम–जलालपुर लगभग 400 मीटर की दूरी पर आवादी लगभग 30–35 घर।

(iii) निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन में नहीं पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। पूर्व में ईंट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्र संख्या–490/सी–2/जी/एस/2024–25 दिनांक–04.11.2024 के माध्यम से ईट भट्ठा का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। साथ ही बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच29440/सी–5/ईंट–324/25 दिनांक–23.06.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण), अधिनियम,1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत ईंट भट्ठे को कारण बताओ नोटिस निर्गत है। (संलग्नक–6 व 7)

(iv) निरीक्षण के समय लिए गए फोटाग्राफ्स निम्नवत हैं–

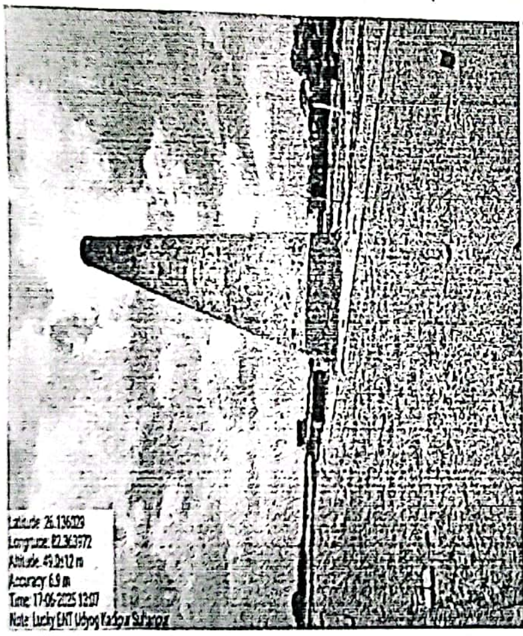

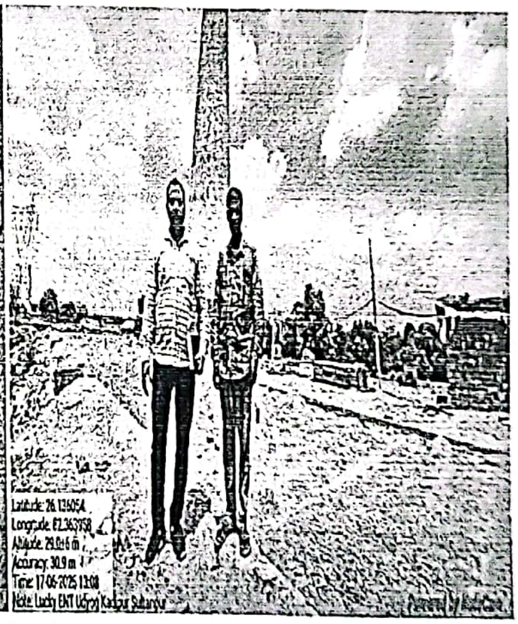

24/06/25
(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

24/6/25
(दीपक मेहरा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

24/06/25

Latitude: 26.177249
Longitude: 82.37156
Elevation: 84.48±13 m
Accuracy: 5.9 m
Time: 17-06-2025 14:01
Note: New Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.177404
Longitude: 82.371544
Elevation: 104.48±15 m
Accuracy: 7.2 m
Time: 17-06-2025 14:01
Note: New Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.177262
Longitude: 82.371578
Elevation: 95.48±14 m
Accuracy: 12.1 m
Time: 17-06-2025 14:00
Note: New Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.136054
Longitude: 82.363958
Altitude: 29.0±6 m
Accuracy: 30.9 m
Time: 17-06-2025 13:08
Note: Lucky ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.136029
Longitude: 82.363972
Altitude: 49.0±12 m
Accuracy: 6.9 m
Time: 17-06-2025 13:07
Note: Lucky ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

158

Latitude: 26.136061
Longitude: 82.363938
Elevation: 98.25±12 m
Accuracy: 8.5 m
Time: 17-06-2025 13:06
Note: Lucky ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.140936
Longitude: 82.347698
Elevation: 93.24±16 m
Accuracy: 12.3 m
Time: 17-06-2025 12:33
Note: Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

160

Latitude: 26.140978
Longitude: 82.347784
Elevation: 82.24±29 m
Accuracy: 31.5 m
Time: 17-06-2025 12:32
Note: Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.140908
Longitude: 82.347689
Elevation: 90.24±6 m
Accuracy: 3.8 m
Time: 17-06-2025 12:33
Note: Raj ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.133025
Longitude: 82.355673
Elevation: 87.21±18 m
Accuracy: 9.0 m
Time: 17-06-2025 12:05
Note: Rajan ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.133052
Longitude: 82.355757
Elevation: 97.21±16 m
Accuracy: 12.5 m
Time: 17-06-2025 12:04
Note: Rajan ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.133037
Longitude: 82.355717
Elevation: 107.21±20 m
Accuracy: 80.1 m
Time: 17-06-2025 12:04
Note: Rajan ENT Udyog Kadipur Sultanpur
Powered by NoteCam

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– H 94163/सी–5/ईट–आर/सा0 546/2023 दिनांक: 23.05.2023
पंजीकृत

सेवा में,
सूची संलग्न (39 ईट भट्ठा)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद–सुल्तानपुर की सूची में आपके ईट भट्ठे का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि:

.........21. Restrictions on use of certain industrial plant.--
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant..........

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद–सुल्तानपुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपके ईट भट्ठे के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा– 31 'ए' के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश/निर्देश जारी किया जाता है:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्ठे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

भवदीय,
23/05/2023
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति प्राप्त कराकर उक्त का अनुपालन 03 दिन में कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए सतत् अनुश्रवण रखें।

23/05/2023
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

S.No.	Name of the Brick Kiln	Location (Village/ Tehsil/ District)	District
1	Abhay Brick Field	Vill.Abhiya Khurd, Sultanpur	Sultanpur
2	Anam Brick Field	Vill.Gupsand, Meeranpur, Teh-Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
3	Bahau Ent Bhattha	Vill.Rampur, Hanumanganj, Teh.Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
4	Deepak Brick Field	Vill.Gopalpur, Newajgarh, The.Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
5	Hanumant Ent Udyog	Vill.Farmapur, Koyripur, Kamaicha, Chanda, The.Lambhua, Sultanpur	Sultanpur
6	Heera Ent Bhattha	Vill.Mujhna Mahmood, Patti, Teh.Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
7	Jai Maa Ent Udyog	Vill. Katghar Khas, Teh- Kadipur, Sultanpur	Sultanpur
8	Kanha Brick Field	Vill.Sarai Khelanpur, Barausa, Sultanpur	Sultanpur
9	M R Brick Field	Vill.Nindura, Post.Kurebhar, Teh-Jaisinghpur,Sultanpur	Sultanpur
10	Mahan Ent Udyog	Vill.Bhupatipur, Pakarpur, Surapur, The-Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
11	Nand Brick Field	Vill.Narayanpur, Teh-Jaisinghpur, Sultanpur	Sultanpur
12	New Raj Ent Udyog	Vill. Post-Kadipur, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
13	Pawansut Ent Udyog	Vill.Kankapur, The-Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
14	Prabhu Mahair Brick Field	Vill.Bada Gaon, Post-Rikhpur, Teh-Lambhua.Sultanpur	Sultanpur
15	Raj Ent Udyog	Vill.Jalalpur, Post-Kadipur Khurd, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
16	Bajrang Brick Field	Vill.Bhatauta, Tulsipatti, Karaundikalan, Teh-Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
17	Kaif Brick Field	Vill.Dodapur, Teh-Sadar,Sultanpur	Sultanpur
18	Hina Brick Field.	Vill.Lauhar Dakshin, Miranpur, Teh-Sadar,Sultanpur	Sultanpur
19	R S Brick Field	Vill.Madhvapur, Barausa, The.Jaisinghpur,Sultanpur	Sultanpur
20	Sainik Brick Field	Vill.Shahpur, Haribansh, The.Lambhua,Sultanpur	Sultanpur
21.	Jai Bharat Brick Field	Vill.Dadupur, Miranpur, The.Sadar,Sultanpur	Sultanpur
22	Tiranga Ent Bhattha	Vill.Utardham Katawan, The.Sadar,Sultanpur	Sultanpur
23	Santosh Ent Battha	Vill.Noorpur Paruram Patti, Dasger Para, Ravaniya, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
24	Annu Ent Bhattha	Vill.Ainpur, Kurebhar, The.Sadar,Sultanpur	Sultanpur
25	Arun Kumar Ent Bhattha	Vill.Gopalpur, Sarai Khwaja, Teh-Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
26	Shakti Brick Field	Vill.Bharsada, Pipergaon, The.Baldirai,Sultanpur	Sultanpur
27	Gulshan Brick Field	Vill.Husepur Saraiya, The.Sadar,Sultanpur	Sultanpur
28	Rajan Ent Udyog.	Vill Post-Kadipur Khurd, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
29	Yankit Ent Udyog	Vill.Sarai Rani, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
30	Virendra Pratap Singh Ent Bhattha	Vill.Sarai Rani, Bankey Gaon, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
31	J K Brick Field	Vill.Gopalpur, Newajgarh, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur
32	Vijay Brick Field	Vill.Raibigo, The.Kadipur,Sultanpur	Sultanpur

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या-1129440 /सी-5/R/ई-ट 3??/25

दिनांक 23-6-25
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स लकी ईट उद्योग,
ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर,
जनपद-सुल्तानपुर।

M 63940127-44

यह कि मैसर्स लकी ईट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-39डी के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के कम क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नही पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त ईट भट्ठा में अक्षांश व देशान्तर कमशः 26.135965, 82.364114 पर स्थापित व संचालित है। आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाया गया कि ईट उद्योग 19 पाया का (लगभग 25,000 ईट/दिन) क्षमता का ईट उद्योग है जिसमें ईंधन के रूप मे कोयला एवं लकड़ी लगभग 3-4 टन/दिन का प्रयोग होता है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के ट्रेन्च में ईट भरी होने के कारण ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नही किया जा सका।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्ठे की चिमनी से पूरब दिशा में ग्राम-किशुनदासपुर की आबादी लगभग 250 मीटर की दूरी पर आबादी 15-20 घर, पश्चिम दिशा में ग्राम-जलालपुर की आबादी लगभग 450 मीटर की दूरी पर आबादी 30-35 घर, दक्षिण दिशा में ग्राम-जलालपुर की आबादी लगभग 400 मीटर दूरी पर आबादी 30-35 घर स्थित है। आख्यानुसार ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लघंन है। पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के पत्र संख्या-490/सी-2/जी/एस/2024-25 दिनांक 04.11.2024 द्वारा ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थल वर्ष 2012 में प्रख्यापित ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापडण्ड) नियमावली जून, 2012 के अनुरूप नही पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या-209/एल-515/2025-26 दिनांक 19.06.2025 द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को

...2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

प्रदत्त शक्तियो के अधीन ईट भट्ठा मैसर्स लकी ईंट उद्योग, ग्राम प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध निम्नवत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1 यह कि क्यो न मैसर्स लकी ईंट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

2 यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियो से यह अपेक्षा की जाये कि मैसर्स लकी ईंट उद्योग, ग्राम-प्राणनाथपुर खुर्द, पो0-किशुनदासपुर, तह0-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त के संबंध मे पूर्ण स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय मे प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईंट भट्ठा एवं ईंट भट्ठे स्वामी का होगा।

Digitally signed by
Rajendra Singh
Date: 23-06-2025
16:36:51

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-5

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– ५१०/C-2/G/S/2024-25 दिनांक– 04/11/24

सेवा में,

मै0 लकी ईंट भट्ठा,
ग्राम–जलालपुर, तहसील–कादीपुर,
जिला–सुलतानपुर।

विषयः–ईंट भट्ठे के अवैध संचालन के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आयुक्त महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को सम्बोधित शिकायत जो इस कार्यालय को कार्यालय जिलाधिकारी के पत्र सं0–386/खनन–2024 दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से प्राप्त हुई है, का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त शिकायत के अनुकम में आपके ईंट भट्ठे का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2024 को कराया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन में नहीं पाया गया। साथ ही यह संज्ञान में आया कि ईंट भट्ठे का संचालन आप द्वारा अवैध रूप से बिना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए किया जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 के आज्ञापक प्राविधानों का खुला उल्लंघन दर्शाता है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0–303/81–7–2021–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 एवं पत्र सं0–582/81–7–2021–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 08.07.2021 द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 के प्राविधानों का समुचित अनुपालन एवं राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किए बिना ईंट भट्ठे का संचालन संबंधी कोई भी अवैधानिक गतिविधि नहीं की जाए। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी, जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 04/11/24

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, सुलतानपुर।
2. खान निरीक्षक, जनपद सुलतानपुर को पत्र सं0–386/खनन–2024 दिनांक 10.10.2024 के अनुकम में सूचनार्थ।
3. श्री रंगबहादुर सिंह पुत्र श्री काशी प्रसाद सिंह, ग्राम–मोहम्मदाबाद, पो0–किशुनदासपुर, तहसील कादीपुर, सुलतानपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी 04/11/24

04/11/24